न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 292 / 2013

उनवान

1-गोपाल पिता कल्याण दरोगा निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

2-बाबू लाल पिता कल्याण दरोगा निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

3-सत्यनारायण पिता कल्याण दरोगा निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

4-श्रीमती नर्बदा पत्नी कल्याण दरोगा निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

5-राधेश्याम पिता केशु दरोगा निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

6-सज्जन पिता केशु दरोगा निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

7-श्रीमती शांता बेवा केशु दरोगा निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

8-गोवर्धन पिता केशु दरोगा निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

9-अर्जुन पिता केशु दरोगा निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. लादू पिता धूकल दरोगा निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण
संख्या 160/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.7.2013
अभिभाषक : 1. श्री ओम प्रकाश पटवारी , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. प्रत्यर्थी अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 27.2.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भादु पटवार हल्का भादु तहसील माण्डल में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के नाम संयुक्त खातेदारी में आराजी नम्बर 1000 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 1001 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 1006/1 रकबा 11 बिस्वा, 1586/1 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 999 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजियात में वादी का 1/3 हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 9 का 1/3 हक हिस्सा निहित है। मौके पर वादी आराजी नम्बर 1001 रकबा 12 बिस्वा में से कुए की तरफ का हिस्सा, पश्चिमी दिशा की तरफ का 06 बिस्वा भूमि पर एवं आराजी नम्बर 1000 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा के पूरे हिस्से पर काबिज होकर काश्त व उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। जिस पर वादी अपने पिता के समय से ही काबिज है। किन्तु राजस्व रेकार्ड में सभी हिस्सेदारों का अपना–अपना हिस्सा के मुताबिक अलग खाता कायम नहीं है। वादग्रस्त आराजियात अविभाजित होने से वादी एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण के मध्य फसल बोते, काटते समय विवाद हाता है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजियात का विभाजन नहीं करवाना चाहते हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार विभाजन कराने हेतु कहा परन्तु उन्होनें कोई ध्यान नहीं दिया । अतः वादी को वादग्रस्त आराजी नम्बर 1001 रकबा 12 बिस्वा में से पश्चिमी दिशा की तरफ का 06 बिस्वा, एवं आराजी नम्बर 1000 1 बीघा 4 बिस्वा के पूरे हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी एवं उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी तत्समय अपीलार्थी को नहीं हुई। जानकारी होते ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जावे।

5. अपीलार्थी/वादी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात पर अपीलार्थीगण एवं प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जाकाश्त है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी/प्रत्यर्थी ने वादग्रस्त आराजी में अपना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हिस्सा विशेष पर कब्जा होने का कथन किया जबकि शामलाती की आराजियात में सभी सहखातेदारों का प्रत्येक इंच भूमि पर समान रूप से कब्जाकाश्त माना जाता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था। अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता पर विश्वास कर लिया । अपीलार्थीगण के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर गवाह पेश नहीं करना चाहते का निवेदन किया। जिस कारण अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं एकतरफा आदेश पारित किया गया ।

6. अधिवक्ता अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई जिससे अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। अधीनस्थ न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

7. हमनें अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी/वादी ने विभाजन का वाद प्रस्तुत किया । वादी ने वादग्रस्त आराजी नम्बर 1001 रकबा 12 बिस्वा में से पश्चिमी दिशा की तरफ का 06 बिस्वा, एवं आराजी नम्बर 1000 1 बीघा 4 बिस्वा के पूरे हिस्से पर अपना कब्जा बताते हुए विभाजन किये जाने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी ने जिस भूमि पर अपना कब्जा होने का कथन किया उसी अनुसार अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद कब्जे अनुसार निर्णित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट आदेश दिया है कि नियम 18 से 20 के तहत प्रक्रिया का पालन कर पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करे। नियम 20 में मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु स्पष्ट निर्देश दिये गये है। यदि अपीलार्थीगण को कोई आपत्ति हो तो वे विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय आपत्ति कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है।

9. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 11.7.2013 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 27.2.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

27/2/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 292 / 2013

उनवान

1. गोपाल पिता कल्याण दरोगा निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. बाबू लाल पिता कल्याण दरोगा निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. सत्यनारायण पिता कल्याण दरोगा निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
4. श्रीमती नर्बदा पत्नी कल्याण दरोगा निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
5. राधेश्याम पिता केशु दरोगा निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
6. सज्जन पिता केशु दरोगा निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
7. श्रीमती शांता बेवा केशु दरोगा निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
8. गोवर्धन पिता केशु दरोगा निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
9. अर्जुन पिता केशु दरोगा निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. लादू पिता धूकल दरोगा निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

–––रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 160 / 2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.7.2013

अभिभाषक : 1. श्री ओम प्रकाश पटवारी , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. प्रत्यर्थी अनुपस्थित

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 292 / 2013** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डल** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड्क्रिी जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 27.2.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पटवारी वकील एवं प्रत्यर्थी की अनुपस्थिति मे दिनांक 27.2.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 11.7.2013 को यथावत रखा जाता है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 27.2.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस